an>

Title: Need to provide reservation on social and economic grounds.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : भारत के संविधान के प्रस्तावना में अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए संविधान निर्माताओं की परिकल्पना बेमिसाल है, जिसके कुछ अंश जैसे न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, स्थिति और अवसर की समानता, लोगों में भ्रातृत्व भाव एवं राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को बनाए रखने का संकल्प महत्वपूर्ण है।

आज़ादी के लगभग 69 वर्षों के पश्चात आरक्षण का लाभ विभिन्न वर्ग के अधिकांश गरीब और बेबस व्यक्तियों को नहीं मिला है, जबकि कई अमीर परिवारों को कई बार आरक्षण का लाभ मिलने से देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों के घर में आज भी अंधेरा है। आज देश के सवर्ण जाति और अन्य जाति के लोग गरीबी और बेबसी का दंश झेल रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि देश के सवर्ण जाति के गरीब और अन्य वंचित लोगों को आर्थिक और सामाजिक आधार पर आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाये और जो वर्ग और व्यक्ति आरक्षण के लाभ से सम्पन्न हो चुके हैं, उन्हें समाज के वंचित लोगों के लिए आरक्षण के लाभ से वंचित करने हेतु सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समीक्षा करने की कृपा की जाये।